7/3/18	पत्रावली पेश [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित [illegible] अधिकारी के राजकार्य में [illegible] में सुनवाई नहीं हो सके। [illegible] पूर्ववत दिनांक ---------- 8/5/18 ------को पेश हो। ✓ पुनश्च पत्रावली दि० 23/6/18 को केम्प जालिमपुरा मे पेश हो।
23/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प जालिमपुरा में पेश हुई। वादी का पुत्र सुरेन्द्र एवं प्रतिवादीगण मजमें आम में उपस्थित। प्रकरण के सम्बन्ध में उभयपक्ष को सुना गया। वादी के पुत्र ने कथन किये कि वादी बाबूलाल की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह शिविर में उपस्थित हो सके। अतः मुझे पक्ष रखनें का मौका दिया जावें। वादी के पुत्र ने कथन किये कि ग्राम बगतरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 478 रकबा 2.12 हे0 भूमि का वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किया जावें। उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के खातें में दर्ज है। जिसे प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वर्ष 1990 में बैचान करदी तथा बैचान की राशि प्रतिवादी नं0 1 ने प्राप्त कर मौके पर कब्जा संभला दिया था, तब से निरन्तर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः विवादित आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावें। इसके विपरित प्रतिवादी नं0 1 ने उपरोक्त कथनों का खण्डन किया। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। राजस्व अभिलेख जमाबंदी सं0 2072–75 खाता सं0 193

LTI मोतीलाल

[illegible] [illegible] [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो ... तारीख
	वाके ग्राम बगतरी अनुसर विवादित आराजी वर्तमान में सिवायचक खाता सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी पर वर्तमान में न तो प्रतिवादी नं0 1 के स्वत्व प्रमाणित है और न ही वादी के स्वत्व प्रमाणित है। वैसे भी एडवर्स पजेशन के आधार पर सिवायचक भूमि पर खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित नहीं है। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प जालिमपुरा

उनवान

बाबूलाल पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र रामनाथ जाति भील निवासी बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 78 / 13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादी खारिज किया जाता है।'' तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 23.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner